



दूरभाष-2286709, 2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र० लखनऊ
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

पत्रांक- 3103 / 241 / NULM / तीन / 2001 / EST&P(SDI)AB

दिनांक-06/11/15

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट,ऑफिसर,
नगर निगम - आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद,
बरेली, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ तथा फिरोजाबाद।
3. परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
शहर - लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़,
बदायूँ, बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्भल, चदौंसी, शिकोहाबाद,
मुगलसराय, बडौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर,
गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर,
महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर,
शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरैया, बागपत, बलरामपुर, नवाबगंज
(बाराबंकी), चित्रकूट धाम कर्वी, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, बिजनौर, कन्नौज, पडरौना
(कुशीनगर), महोबा, मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, राबर्टसगंज
(सोनभद्र), अमेठी, ज्ञानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी)
तथा भिनगा (श्रावस्ती)।

विषय: एन०यू०एल०एम० के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार
(ई०एस०टी०एण्ड पी०) के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट(प्रमाणीकरण) हेतु विस्तृत
दिशानिर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से
रोजगार (ई०एस०टी०एण्ड पी०) के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने
हेतु शहर स्तरीय निविदा के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा), उ०प्र० द्वारा
कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं (संस्थाओं) को इम्पैनलड किया गया है। सूडा के
पत्रांक-883/241/एनयूएलएम/तीन/2001(ई०एस०टी०एण्ड पी०, दिनांक 08.06.2015 के
द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं।

कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार(ई०एस०टी०एण्ड पी०) के
अन्तर्गत शहर स्तरीय निविदा द्वारा इम्पैनलड कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा गाईडलाइन के
अनुसार SDI योजनान्तर्गत MES आधारित पाठ्यक्रमों/कोर्सों पर प्रशिक्षणार्थियों को कौशल
प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

संयुक्त सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता, भारत सरकार के अर्धशासकीय
पत्र-MSDE-10/2013-SDI/MES, दिनांक 08.07.2015 जो कि संयुक्त सचिव(यू०पी०ए०),
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार को संबोधित है, के द्वारा
ई०एस०टी०एण्डपी० के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

शासन के पत्र संख्या-736/1844/69-1-2015-14(104)/13टीसी, दिनांक 10.08.2015 द्वारा कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार(ई0एस0टी0एण्ड पी0) के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों का असेसमेंट (प्रमाणीकरण) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन रीजनल डायरेक्ट्रेट आफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (RDAT), कानपुर के माध्यम से कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा) उ0प्र0 एवं क्षेत्रीय निदेशक RDAT, कानपुर के साथ ई0एस0टी0एण्ड पी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट हेतु दिनांक 18.09.2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त संख्या-2670/241/एनयूएलएम/तीन/2014/EST&P-SDI, दिनांक 24.09.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट किये जाने की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी :

1. सूडा के कार्यवृत्त संख्या- 2670/241/एनयूएलएम/तीन/2014/EST&P-SDI, दिनांक 24.09.2015 द्वारा परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0 को ई0एस0टी0एण्ड पी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट प्रक्रिया हेतु राज्य स्तरीय नोडल ऑफिसर नामित किया गया है जो कि असेसमेंट हेतु RDAT कानपुर से समन्वय करेंगे।
2. असेसमेंट हेतु टेस्टिंग सेन्टर तैयार करना-
 - 2.1 कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा दिशानिर्देश एवं निविदा के अनुसार Skill Development Initiative (SDI) योजनान्तर्गत Modular Employable Skill (MES) आधारित पाठ्यक्रमों/कोर्सों जो कि NCVT (as on 24.03.2015) द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों/कोर्सों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
 - 2.2 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई0एस0टी0एण्ड पी0) के अन्तर्गत लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश पत्रांक 883/241/एनयूएलएम/तीन/2001(ई0एस0टी0एण्ड पी0), दिनांक 08.06.2015 के प्रस्तर-5 के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा स्थापित किये जाने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों में SDI योजनान्तर्गत MES आधारित ट्रेडवार पाठ्यक्रम/कोर्स में दिये गये मानको एवं प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य टूल्स/सामग्री (एक्यूपमेंट) का अनिवार्य रूप से प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में होना आवश्यक है।
 - 2.3 सभी शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी0एम0एम0यू0)/डूडा को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित शहरो हेतु इम्पैनल्ड कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं से ट्रेडवार पाठ्यक्रम/कोर्स हेतु तैयार किये गये प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची पिन कोड सहित पूर्ण पता (पोस्टल एड्रेस) सहित राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा), उ0प्र0 को उपलब्ध कराई जाये। प्रशिक्षण केन्द्रों को टेस्टिंग सेन्टर के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची में यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जाये कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों में MES आधारित ट्रेडवार पाठ्यक्रम/कोर्स में दिये गये प्रशिक्षण हेतु मानकों के अनुसार अनिवार्य टूल्स/सामग्री (एक्यूपमेंट) उपलब्ध हो। उन्हीं प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाये जो MES आधारित पाठ्यक्रम/कोर्स में दिये गये मानको के अनुसार स्थापित किये गये हो, का विवरण निम्नवत फार्मेट पर शीघ्र ही उपलब्ध कराये :

क्र. सं.	कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	प्रशिक्षण प्रदान कर रहे शहर एवं जनपद का नाम	MES स्किल सेक्टर का नाम (कोड सहित)	MES ट्रेड/कोर्स का नाम (कोड सहित)	टेस्टिंग सेन्टर का नाम सहित पता (पोस्टल एड्रेस) पिन कोड सहित	कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का मोबाईल नं0/दूरभाष नं0
1	2	3	4	5	6	7

(नोट- आवश्यकतानुसार लाईनों को बढ़ा लें।)

3. टेस्टिंग सेन्टर को मान्यता प्रदान करना—

- 3.1 MES आधारित ट्रेडवार पाठ्यक्रम/कोर्स के मानको के अनुसार अनिवार्य टूल्स/सामग्री(एक्वूपमेंट) उपलब्ध सेन्टरों की शहरों से प्राप्त सूची को RDAT कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त टेस्टिंग सेन्टर की सूची के आधार पर RDAT कानपुर को सूची प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर ऐसे सेन्टरों को डायरेक्ट टेस्टिंग सेन्टर के रूप में पहचान प्रदान करेगा।
- 3.2 RDAT कानपुर द्वारा उक्त सेन्टरों का 1 माह के अन्दर स्वयं या थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग एजेन्सियों के माध्यम से निरीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा, इसके पश्चात RDAT कानपुर द्वारा निरीक्षण में उपयुक्त पाये गये टेस्टिंग सेन्टरों को अनुमोदन प्रदान करते हुए शहरवार/पाठ्यक्रमवार (कोर्स) मान्यता प्राप्त टेस्टिंग सेन्टरों की सूची जारी की जायेगी। मान्यता प्राप्त टेस्टिंग सेन्टरों की सूची RDAT कानपुर द्वारा से राज्य शहरी आजीविका मिशन(सूडा) उ0प्र0 को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

4. अन्य मान्यता प्राप्त टेस्टिंग सेन्टरों का उपयोग—

- 4.1 ई0एस0टी0एण्ड पी0 के अन्तर्गत इम्पैनल कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को संबंधित शहर में ई0एस0टी0एण्ड पी0 के अन्तर्गत किसी MES ट्रेड/पाठ्यक्रम का टेस्टिंग सेन्टर RDAT कानपुर द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो पाती है या उस MES ट्रेड/पाठ्यक्रम का टेस्टिंग सेन्टर किसी कारणवश नहीं बन पाया है तो उस स्थिति में बैच के असेसमेंट हेतु संबंधित ट्रेड/पाठ्यक्रम हेतु RDAT, कानपुर द्वारा पंजीकृत/मान्यता प्राप्त VTP का टेस्टिंग सेन्टर, UPSDM के अन्तर्गत पंजीकृत/मान्यता प्राप्त टेस्टिंग सेन्टर, ITI के पंजीकृत/मान्यता प्राप्त सेन्टर का असेसमेंट हेतु आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है। ऐसे केन्द्रों की सूची SDI पोर्टल से प्राप्त कर अलग से राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा) उ0प्र0 द्वारा जारी की जायेगी।
- 4.2 कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा उक्त अन्य संस्थाओं/एजेन्सियों के टेस्टिंग सेन्टरों के उपयोग करने की दशा में संलग्नक-1 में दिये गये पत्र के साथ टेस्टिंग सेन्टर वाली संस्था/एजेन्सी की सहमति अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- 4.3 किसी भी कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा स्वयं के टेस्टिंग सेन्टरों के अतिरिक्त उक्त अन्य संस्थाओं/UPSDM संस्था/VTP एवं ITI के RDAT कानपुर द्वारा पंजीकृत/मान्यता प्राप्त टेस्टिंग सेन्टरों का असेसमेंट हेतु उपयोग करने की दशा में एस0डी0आई0 स्कीम के निसमानुसार उस बैच की असेसमेंट लागत का 10% संबंधित संस्था/UPSDM संस्था/VTP/ITI को देय होगा। भुगतान की जाने वाली यह धनराशि कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को प्रशिक्षण हेतु दी जाने वाली धनराशि का भाग होगी और यह धनराशि कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सीधे टेस्टिंग सेन्टर वाली संस्था को देय होगी।

5. बैच के असेसमेंट हेतु RDAT, कानपुर को सूचना/सूची का प्रेषण—

- 5.1 कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट हेतु बैच का विवरण सहित ट्रेड/पाठ्यक्रम (कोर्स) का नाम एवं कोड तथा असेसमेंट हेतु अनुमानित तिथि सहित पूर्ण विवरण शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी0एम0एम0यू0)/जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) को उपलब्ध करायेगा, जिसके आधार पर संलग्नक-1 पर उपलब्ध फार्मेट पर शहर मिशन प्रबंधन ईकाई(सी0एम0एम0यू0)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा RDAT कानपुर को सूचना/सूची एक्सल शीट में पत्र तथा ई-मेल (rdatkanpur@gmail.com) उपलब्ध कराई जायेगी। जिसकी प्रतिलिपि राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा) उ0प्र0 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

- 5.2 उक्त फारमेट पर एक या एक से अधिक संस्थाओं के एक या एक से अधिक ट्रेड/पाठ्यक्रम (कोर्स) एवं एक या एक से अधिक बैचों के असेसमेंट की सूचना/सूची R DAT कानपुर को प्रेषित की जा सकती है। असेसमेंट हेतु एक बैच में 30 से अधिक प्रशिक्षणार्थी नहीं होंगे।
6. R DAT द्वारा असेसिंग बॉडी को बैचों का आवंटन—
- 6.1 उक्त निर्धारित फारमेट पर शहर मिशन प्रबंधन ईकाई/जिला नगरीय विकास अभिकरण से सूचना/सूची प्राप्त होने के पश्चात, R DAT कानपुर द्वारा रेण्डम चयन के आधार पर असेसिंग बॉडीस को बैचों का आवंटन किया जायेगा।
7. असेसिंग बॉडीस द्वारा असेसमेंट प्रक्रिया प्रारम्भ करना—
- 7.1 असेसिंग बॉडीस को बैच आवंटन के पश्चात असेसिंग बॉडी द्वारा शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी0एम0एम0यू0)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को सूचित करते हुए संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदाता से सम्पर्क किया जायेगा और कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा असेसमेंट बैच के सभी प्रशिक्षणार्थियों का पूर्ण विवरण (साफ्ट-एक्सल शीट में एवं हार्ड कापी में) असेसिंग बॉडी को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदाता प्रशिक्षणार्थियों का USPID (Unique Student Profile Identity no.) बनाकर असेसिंग बॉडी को उपलब्ध करायेगा, ताकि असेसमेंट में विलम्ब न हो। (USPID बनाने की सविधा www.sdi.gov.in पर उपलब्ध है)
- 7.2 यदि किसी कौशल प्रशिक्षण प्रदाता यह USPID बनाने में असमर्थ/असक्षम है या किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा बैच के प्रशिक्षणार्थियों का पूर्ण विवरण एक्सल शीट में संबंधित असेसिंग बॉडी को उपलब्ध कराया जायेगा। असेसमेंट बैच के प्रशिक्षणार्थियों का USPID का पूर्ण विवरण असेसिंग बॉडी द्वारा SDI के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा और R DAT कानपुर से असेसमेंट बैच नम्बर प्राप्त किया जायेगा।
- 7.3 असेसमेंट बॉडी द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदाता से परामर्श कर असेसमेंट हेतु तिथि निर्धारण किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों हेतु असेसिंग बॉडी और कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा एक दूसरे से समन्वय और सहयोग प्रदान किया जायेगा। असेसिंग बॉडी द्वारा बैच के असेसमेंट की तिथि शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी0एम0एम0यू0)/जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा), राज्य शहरी आजीविका मिशन(सूडा) उ0प्र0 सहित R DAT कानपुर को अनिवार्य रूप से सूचित की जायेगी।
- 7.4 कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा बैच के असेसमेंट हेतु संलग्नक-1 पर उपलब्ध फारमेट पर दिये गये पंजीकृत/मान्यता प्राप्त टेस्टिंग सेन्टर पर बैच के असेसमेंट हेतु सभी आवश्यक/अनिवार्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
8. असेसमेंट का परिणाम—
- 8.1 पंजीकृत/मान्यता प्राप्त टेस्टिंग सेन्टर पर बैच के असेसमेंट के 3 दिवसों के अन्दर असेसिंग बॉडी द्वारा असेसमेंट के परिणाम SDI पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे।
- 8.2 असेसिंग बॉडी द्वारा असेसमेंट के परिणाम SDI पोर्टल पर सम्पूर्ण रूप से (आवश्यक असेसमेंट फोटो सहित) अपलोड किये जाने के 03 दिवसों के अन्दर R DAT कानपुर द्वारा असेसमेंट का परिणाम घोषित किया जायेगा।
- 8.3 असेसमेंट में असफल प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा पुनः आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान करते हुए पुनः असेसमेंट कराया जायेगा। असेसमेंट में असफल प्रशिक्षणार्थियों का अधिकतम 3 बार असेसमेंट (प्रथम असेसमेंट सहित) कराया जा सकेगा। यह असेसमेंट संबंधित ट्रेड/पाठ्यक्रम के अन्य बैच के प्रशिक्षणार्थियों के साथ असेसिंग बॉडी/R DAT कानपुर/सी0एम0एम0यू0/डूडा से सम्पर्क/समन्वय करते हुए कराया जायेगा। असफल प्रशिक्षणार्थियों के पुनः

असेसमेंट की लागत संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा असेसिंग बॉडी को भुगतान की जायेगी।

- 8.4 बैच के असेसमेंट से संबंधित एक यूनिक नम्बर जिसे ABN No. (असेसमेंट बैच नम्बर) कहते हैं जो SDI के पोर्टल पर स्वयं जनरेट होता है, संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा असेसिंग बॉडी से लिया जा सकता है।
- 8.5 दिशानिर्देशानुसार एवं राज्य शहरी अजीविका मिशन(सूडा), उ0प्र0 द्वारा जारी निर्देश और सी0एम0एम0यू0 एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदाता के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार असेसमेंट में सफल प्रशिक्षणार्थियों का ही भुगतान (द्वितीय किश्त 50%) कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को किया जायेगा। जैसे-जैसे असफल प्रशिक्षणार्थी पुनः असेसमेंट के द्वारा असेसमेंट में सफल होते जायेंगे, उनका भुगतान (द्वितीय किश्त 50%) कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को किया जायेगा।

9. असेसमेंट लागत एवं प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण पत्र प्राप्ति-

- 9.1 RDAT कानपुर द्वारा असेसमेंट के परिणाम घोषित करने के पश्चात असेसिंग बॉडी को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे और यह प्रमाण पत्र असेसिंग बॉडी द्वारा सीधे शहर मिशन प्रबंधन ईकाई(सी0एम0एम0यू0)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 9.2 प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. 800/- की दर से असेसमेंट लागत असेसिंग बॉडी को देय होगी, चाहे प्रशिक्षणार्थी असेसमेंट में सफल या असफल हुआ हो।
- 9.3 शहर मिशन प्रबंधन ईकाई(सी0एम0एम0यू0)/जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) द्वारा यह असेसमेंट लागत असेसिंग बॉडी से बैचवार प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात असेसिंग बॉडी को सीधे प्रदान की जायेगी। असेसिंग बॉडी को असेसमेंट की लागत लिखित रूप से प्रदान की जायेगी और जिसकी प्रतिलिपि एस0यू0एल0एम0 को उपलब्ध कराई जायेगी।
- 9.4 सभी शहर मिशन प्रबंधन ईकाई/डूडा को यह निर्देशित किया जाता है कि कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को जारी की जाने वाली प्रथम किश्त 30 प्रतिशत से प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. 800/- असेसमेंट लागत रोक कर अवशेष का भुगतान किया जाये। असेसमेंट लागत के रूप में प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. 800/- रोकी गई धनराशि से ही असेसिंग बॉडी को असेसमेंट का भुगतान किया जायेगा।

10. असेसमेंट प्रक्रिया हेतु अवधि-

- 10.1 असेसमेंट हेतु प्रशिक्षणार्थियों की सूची RDAT कानपुर को प्राप्त होने और कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण पत्र प्राप्त होने सहित सभी असेसमेंट प्रक्रियाओं को अधिकतम 40-50 दिवसों में पूर्ण किया जायेगा।
- 10.2 उक्त असेसमेंट प्रक्रिया को शीघ्रपूर्ण करने एवं प्रशिक्षणार्थियों का असेसमेंट उपरान्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनके सेवायोजना कराये जाने हेतु सभी कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को सुझाव दिया जाता है कि जैसे ही बैच में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की 80 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण हो जाये या प्रशिक्षण पूर्ण होने में 01 माह या डेढ़ माह अवशेष रह जाये तो असेसमेंट प्रक्रिया प्रारम्भ करें ताकि असेसमेंट में लगने वाली अवधि को कम किया जा सके।

उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार समयबद्ध तरीके से असेसमेंट हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय

संलग्नक - यथोपरि

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव (यू०पी०ए०), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, (एस०डी०आई०), डी०जी०टी०, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ०प्र० शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
5. क्षेत्रीय निदेशक, आर०डी०ए०टी० (RDAT) कानपुर, उ०प्र०।
6. समस्त परियोजना अधिकारी/सहा०परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०।
4. वेब मास्टर, सूडा को ई-मेल से प्रेषण एवं सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेन्ट हेतु RDAT कानपुर को प्रेषित किसे जाने वाले पत्र का प्रारूप

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,
रीजनल डायरेक्ट्रेट आफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (RDAT)
ए0टी0आई0 परिसर,
उद्योग नगर, कानपुर-208022

विषय: एन0यू0एल0एम0 के घटक ई0एस0टी0 एण्ड पी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों का "डायरेक्ट कैडीडेट असेसमेन्ट" प्रक्रिया के अधीन असेसमेन्ट कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई0एस0टी0 एण्ड पी0) के अन्तर्गत MES आधारित ट्रेड/पाठ्यक्रमों/माडयूलों में निविदा के माध्यम से इम्पैनलड कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं (संस्थाओं) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्य कराया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता.....(संस्था का नाम) द्वारा प्रशिक्षित बैच के प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन डी0जी0ई0टी0, भारत सरकार के "डायरेक्ट कैडीडेट असेसमेन्ट" प्रक्रिया के अधीन निम्नवत तालिका में दिये गये केन्द्रों पर किया जाना है, जो कि पूर्व से ही ई0एस0टी0 एण्ड पी0 के अन्तर्गत RDAT द्वारा पंजीकृत (मान्यता प्राप्त)/वी0टी0पी0 के रूप में RDAT द्वारा पंजीकृत (मान्यता प्राप्त)/यू0पी0एस0डी0एम0 अन्तर्गत RDAT द्वारा पंजीकृत (मान्यता प्राप्त) आई0टी0आई0 अन्तर्गत RDAT द्वारा पंजीकृत (मान्यता प्राप्त) के रूप में अनुमोदित है।

प्रशिक्षित बैचों का एवं असेसमेन्ट हेतु पूर्व से ही अनुमोदित टेस्टिंग सेन्टरों का विवरण निम्नवत है:

क्र सं.	कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का नाम एवं पता (पोस्टल एड्रेस, जिस शहर में प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है)	मो0न0/सम्पर्क न0	बैच कोड	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	MES सेक्टर (कोड सहित)	ट्रेड MES/ पाठ्यक्रम/ कोर्स का नाम (कोड सहित)	योजना का नाम	RDAT द्वारा पंजीकृत सेन्टर का नाम (पूर्ण पोस्टल एड्रेस सहित) पिन कोड सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ई0एस0टी0 एण्ड पी0	

(आवश्यकतानुसार लाईन बढ़ाये)

कृपया उक्त तालिका में अंकित प्रशिक्षण/टेस्टिंग सेन्टर जो पूर्व से ही RDAT, कानपुर द्वारा पंजीकृत (मान्यता प्राप्त) है पर प्रशिक्षणार्थियों का असेसमेन्ट कराये जाने का कष्ट करें।

उपरोक्त ट्रेड/पाठ्यक्रमों/कोर्स/माडयूल में प्रशिक्षण राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक ई0एस0टी0 एण्ड पी0 से पोषित है, इस असेसमेन्ट का भुगतान शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी0एम0एम0यू0)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा सीधे असेसिंग बॉडी को किया जायेगा।

संलग्नक- यदि कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा स्वयं के टेस्टिंग सेन्टर का उपयोग नहीं करने की दशा में अन्य टेस्टिंग सेन्टर वाली संस्था/एजेन्सी की सहमति अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। यदि स्वयं का टेस्टिंग सेन्टर का उपयोग किया जा रहा है तो सहमति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

()
सी0पी0ओ0/पी0ओ0
(मो.न.-)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन नेदशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा), उ0प्र0।
2.(संस्था का नाम, पता, ई-मेल, मोबाईल नं0) को इस आशय के साथ प्रेषित कि RDAT द्वारा नियुक्त असेसिंग बॉडी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार असेसमेन्ट हेतु प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति उनके अभिलेखों सहित निर्धारित टेस्टिंग सेन्टर पर सुनिश्चित कराये।

()
सी0पी0ओ0/पी0ओ0